



उत्तर प्रदेश शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-6  
संख्या-12/ 77-6-16/ 15विनि/ 2002  
लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम-2000 (यथासंशोधित) की धारा 10(बी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर के निदेशक मण्डल में सुश्री नीना शर्मा, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ.प्र., उद्योग निदेशालय, कानपुर, को निदेशक नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(महेश कुमार गुप्ता)  
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

संख्या- 12(1)/ 77-6-16/ 15(विनि)/ 2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
- 3- प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-1
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कंचन वर्मा)  
विशेष सचिव।